

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्झुनूं (राज0)
मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक निर्णय दिनांक
34/2019 धारा 91 एल.आर.एक्ट 26.06..2019 11.09.2019

उनवान सरकार बनाम कैलाश पुत्र ग्यारसी लाल जाति टेलर निवासी सिंधाना तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मागला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सिंधाना ने सम्वत 2075 में इस आशय की
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सिंधाना की राजकीय भूमि ख0 न0 306, 307 कुल एकवा 0.19
व 0.16 है0 किरम बरानी 2, गै0 गु0 रास्ता मे से 11 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी कैलाश पुत्र
ग्यारसी लाल जाति टेलर निवासी सिंधाना में अवैध रूप से दुकान व चबूतरा बनाकर अकैध
रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी
को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी
द्वारा राजकीय भूमि में दुकान व चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये
जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से
बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से दुकान व चबूतरा बनाकर
अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0
न0 306, 305 लगान 0.05 की 50 गुणा जुर्माना राशि 3/- बतौर शारित कायम किये जाते
है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वारते जमा
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत
भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील
दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

.....
.....
.....

.....

.....
उप तहसीलदार सिंधाना